न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 80/2022 दायर दिनॉक 23.02.2022

वादीगण

1. मेहमूदा बानो पत्नी भंवरू खां जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.
2. रजिया बानू पुत्री भंवरू खां पत्नी मकबूल खां जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. हाल निवासी नावां तहसील नावा जिला नागौर राज.।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. खान मोहम्मद खान पुत्र उम्मेद खां
2. नूर मोहम्मद खान पुत्र उम्मेद खां
3. मुमताज बानो पत्नी सरदार खां
4. रियाज खां पुत्र सरदार खां
5. अनवर खां पुत्र सरदार खां
6. इलियास खां पुत्र सरदार खां
7. आमीन बानू पत्नी इकबाल खां
8. मुराद खां पुत्र फुले खां
9. सुवटी बानो पत्नी मुस्ताक खां
10. हलीमा बानो पत्नी शौकत खां
    समस्त जाति कायमखानी
    निवासीगण सरदारपुरा कलां
    तहसील डीडवाना जिला नागौर
11. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, व रेकर्ड दुरूस्ती,
अन्तर्गत 53, 188 R.T.Act. में
प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C.

उपस्थित:–

1. श्री हकीम खां, वकील, वादीगण की ओर से।
2. श्री मुस्ताक खां वकील प्रार्थी की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक **29.10.2025**

वाद में प्रार्थी श्री भंवरू खां पुत्र उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कलां तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान हाल निवासी लाल माटी बसीसथा जिला कामरूप मेट्रो आसाम की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का दिनांक 22.11.2024 को पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी द्वारा एक मिथ्या तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया हुआ है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

वादीनी संख्या 1 मेहमूदा बानो जो मेरी पत्नी है एवं वादीनी संख्या 2 रजिया बानो जो मेरी पुत्री है ने झूठे तथ्यों पर आधारित यह झूठा वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है जिसमें मुझे दिनांक 06.12.2008 से लापता बता कर सिविल मृत्यु मानकर मेरे स्थान पर स्वयं के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 12:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खातेदारी घोषित करने का यह वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है जबकि वादीगण को भली–भांति जानकारी है कि मैं वर्तमान में अपने आसाम स्थित निवास स्थान पर निवास कर रहा हूं एवम् वक्त जरूरत अपने घर ग्राम सरदारपुरा में भी आता जाता रहता हूँ इसके बावजूद उन्होंने जानबूझ मिथ्या कथन करते हुये यह झूठा वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसकी मुझे जानकारी होने पर आज तारीख पेशी पर मैं न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा हुँ जिस कारण अब इस वाद का कोई वाद हेतुक नहीं रहा है एवम् यह वाद अब सारहीन होने से तथा वादीगण मुस्लिम विधि से शासित है एवम् मुस्लिम विधि के अनुसार पति एवं पिता के जीवनकाल में पत्नि व पुत्री का उनकी सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होता है, इस कारण यह वाद विधि द्वारा वर्जित होने से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत यह वाद पत्र न तो दो प्रतियों में फाईल किया गया है एवं न ही सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है जिस कारण यह वाद पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अपने जवाब में बताया कि वादीया द्वारा माननीय न्यायालय में उपरोक्त अनवान का वाद दिनांक 23.02.2022 को प्रस्तुत किया गया है जिसके लगभग ढाई वर्ष पश्चात तथाकथित भंवरू खां पुत्र उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी लालमाटी बसीसथा जिला कमारूप मेट्रो असम नाम व्यक्ति द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में दिनांक 22.11.2024 को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है व आवेदन उक्त भंवरू खां को माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त भंवरू खां उक्त वाद पत्र में बतौर वादी या प्रतिवादी पक्षकार नहीं है न ही न्यायालय हाजा में आज दिन तक भंवरू खां विधिवत पक्षकार बनने के लिए आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर पक्षकार बनने का निवेदन किया है न ही न्यायालय हाजा द्वारा उक्त भंवरू खां को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बताया गया है न ही उक्त प्रकरण में भंवरू खां द्वारा अपने आप को बतौर पक्षकार होना कहा गया है न ही न्यायालय द्वारा उक्त भंवरू खां को किसी भी प्रकार कोई आवेदन प्रस्तुत करने का अथवा वादीया के वाद में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। विधि अनुसार आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन वाद का पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता है। उक्त भंवरू खां उक्त वाद में पक्षकार नहीं है इसलिए भंवरू खां का उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उक्त भंवरू खां एक अजनबी [illegible] निवासी है जिसका उक्त प्रकरण से कोई संबंध नहीं है तथा अजनबी बिना पक्षकार [illegible] उक्त प्रकरण में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने अथवा [illegible] नहीं है इसलिए उक्त भंवरू खां का प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। किसी भी वाद अथवा प्रार्थनापत्र में अगर कोई [illegible] आपत्ति अथवा हिस्सा लेना चाहता है तो सब से पहले उसे माननीय न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 12:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार बनने के लिए निवेदन करना पड़ेगा तथा न्यायालय विपक्षी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात दोनों पक्षों को सुनकर पत्रावली व दस्तावेज का अवलोकन कर आवश्यक समझे तो उस व्यक्ति को पक्षकार बनायेगा तथा पश्चात संशोधित शीर्षक पेश होने के पश्चात ही आवेदन कर्ता को वाद में आपत्ति करने अथवा हिस्सा लेने का अधिकार होगा उक्त प्रकरण में भंवरू खां द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है, इसलिए भी भंवरू खां द्वारा प्रस्तुत आवेदन ग्राह्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। भंवरू खा पुत्र उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी लालमाटी बसीसथा जिला कामरूप मेट्रो असम को वादीगण नहीं जानते है न ही वादीया इसको अपना पति होना मानती है न ही उक्त व्यक्ति का वाद से कोई संबंध है। इसलिए भी भंवरू खां द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदन के पैरा संख्या 1 में वर्णित तथ्य की वादीया संख्या एक मेहमुदा बानो जो कि मेरी पूर्व पत्नि है, ने गलत तथ्यों पर आधारित यह झुठा वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें मुझे दिनांक 06.12.2008 से लापता बता कर सिविल मृत्यु मानकर मेरे स्थान पर स्वयं के नाम खातेदारी घोषित करने का यह वाद प्रस्तुत किया है जबकि वादीया को भलीभांति जानकारी है कि मैं वर्तमान में अपने असम स्थित निवास स्थान पर निवास कर रहा हुँ एवं वक्त जरूरत अपने गांव सरदारपुरा में भी आता जाता रहा हुँ इसके बावजुद उन्होंने जानबुझकर यह झुठा वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसकी मुझे जानकारी होने पर आज तारीख पेशी पर न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा हु अब इस वाद का कोई वाद हैतुक नहीं रहा है का जवाब यह है कि उक्त आवेदन कर्ता भंवरू खां पुत्र उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी लालमाटी बसीसथा जिला कामरूप मेट्रो असम ने अपने आवेदन में मुझ मेहमुदा बानों को अपनी पूर्व पत्नि होना लिखा है जिसको मैं जानती तक नहीं हु न ही असम के भंवरू खां के साथ मेरी कोई शादी हुई थी। उक्त भंवरू खां से मेरा कोई संबंध नहीं है मेरी शादी भंवरू खां पुत्र उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कलां के साथ हुई थी जो मेरा पति है जिसको मेने अंतिम बार दिनांक 06.12.2008 को देखा था। उसके बाद आज दिन तक मेने उसको जीवित नहीं देखा है न ही उसकी कोई सूचना है जिसके सिविल मृत्यु के संबंध में मेरे द्वारा दावा किया हुआ है न ही मेरे गाव आया है न ही हम से मिला है। उक्त भंवरू खां को मैने उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया है न न्यायालय द्वारा उक्त भंवरू को असम में कोई नोटिस भेजा गया है। उसके बाद भी उसको मुकदमा दर्ज करने के ढाई साल बाद असम में बैठे को उक्त वाद की जानकारी व तारीख पेशी 22.11.2024 की जानकारी कैसे [illegible] नहीं बताया है। संभवतः प्रतिवादीगण व हमारे सरपंच भंवरू खां ग्राम पंचायत छापरी [illegible] किया व्यक्तियों द्वारा हमारी जमीन हड़पने के उद्देश्य [illegible] में प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह कर [illegible] हक व हिस्से की [illegible]न को हडपना चाह रहे है, जबकि मेरे पति भंवरू खां [illegible] जीवित होने का अता पता नहीं है, इसलिए भी उक्त आवेदन खारिज किये जा[ने] योग्य है। आवेदन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 12:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

पैरा संख्या 2 में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है तथा कथित भंवरू खा को वादीगण अपना पति/पिता नहीं मानती है न ही जानते है न ही उक्त भंवरू खां आज दिन तक वादीगण से मिला है न ही वादीगण से कोई बातचीत की है। वादीगण की जमीन को हडपने के उद्देश्य से वादीगण के रिश्तेदार प्रतिवादीगण व सरपंच भंवरू खां ने संभवतः फर्जी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित किया है। उक्त भंवरू खां उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं होने से उसे कोई आपत्ति करने का अथवा आवेदन प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नही है। वादीगण कायमखानी की जाति से है जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नही होता है. इसलिए भी भंवरू खां का प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदन के पैरा संख्या 3 में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। बिना पक्षकार अजनबी व्यक्ति को कोई आपत्ति पेश करने को अधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा सी.पी.सी. के सभी प्रावधानों का पालन किया गया है। उक्त वाद के प्रतिवादीगण के द्वारा भी आज दिन तक उक्त वाद में जवाब प्रस्तुत कर यह कही नहीं कहा गया कि भंवरू खां पुत्र उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कलां जो कि वादीगण का पति/पिता है व जीवित है. वादीया संख्या 1 को उसके पति ने कभी कोई तलाक नहीं दिया था व कभी छोडा था व आज भी अपने पति के नाम से बैठी है। वादीया का पति भंवरू खां पढ़ा लिखा भी नहीं था न ही अंग्रजी में हस्ताक्षर करने आते हैं। जिस भंवरू खां नामक व्यक्ति द्वारा उक्त आवेदन पेश किया गया है. उसके न्यायालय में उपस्थित होने के उपरांत व आज दिन तक मेरे पास मेरे घर पर ग्राम सरदारपुरा कलां में आकर मुझसे नहीं मिला है. न ही मुझे कहा कि मैं जीवित हु न ही मेरी पुत्री से मिला है कि मैं तेरा पिता हु और मैं जीवित हु। उक्त भंवरू खां को सरदार खां मेरे देवर के घर में छुपा कर रखा है तथा मुझे व मेरी पुत्री को न तो मिलने दिया जा रहा है. न बात करने दी गई है। मेरी पुत्री व हम सरदार खां के घर पर उक्त भंवरू खां से मिलने गये तो उसके साथ एक असम की ओरत व बच्चे थे. जिन्होनें भी मुझे उक्त भंवरू खां से मिलने नहीं दिया तथा हमें कहा कि यह भंवरू खां तो मेरा पति है. तुम कौन हो हम तुम्हे नहीं जानते हैं। हमें तो यह लोग रूपये देने का लालच देकर लाये हैं. इससे भी यह प्रकट होता है कि उक्त व्यक्ति की जांच की जावें तथा प्रतिवादीगण व भंवरू खा सरपंच ग्राम छापरी द्वारा उक्त गलत व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायालय का गुमराह कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 24.02.2022 को अपास्त करवाकर सरपंच भंवरू खां ने अपने पुत्र फारूक खां व रिश्तेदार मोहम्मद मुजीबुर्रहमान खान के नाम बेचान करवा लिया है. इसलिए भी उक्त आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब मय शपथ पत्र मय प्रारंभिक आपत्तिया प्रस्तुत कर निवेदन है कि भंवरू खां पुत्र उम्मेद खां जाति [illegible] बसीसथा जिला कामरूप मेट्रो असम की ओर से प्रस्तुत आवेदन दि[illegible] 22.11.2024 को मय हर्जा व खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 12:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादीनी संख्या 1 मेहमूदा बानो जो कि मेरी पूर्व पत्नि एवम् वादीनी संख्या 2 रजिया बानो जो कि मेरी पुत्री है। वादीगण ने मुझे दिनांक 06.12.2008 से लापता बता कर सिविल मृत्यु मानकर मेरे स्थान पर स्वयं के नाम खातेदारी घोषित करवाने का यह वाद पेश किया है जो पूर्णतया झूठा है। जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। जिन्हें मेरे वर्तमान निवास में अपने आसाम स्थित निवास स्थान पर निवास कर रहा हूं एवम् वक्त जरूरत अपने घर ग्राम सरदारपुरा में भी आता जाता रहता हूँ। वकील वादीगण ने माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश डीडवाना के प्रकरण संख्या 15/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2025 पेश कर बताया कि वादिया महमूदा बानो द्वारा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व धारा 151 सीपीसी के तहत वादीया के पति भंवरूखां पुत्र उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी गांव सरदारपुरा कलां पटवार हल्का छापरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर की मृत्यु की उपधारणा धारित करते हुए उनकी सिविल मृत्यु घोषित की जावे। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय में प्रार्थी स्वयं माननीय न्यायलय में उपस्थित होने पर वादीया का प्रार्थना पत्र खारीज किया गया है। अतः वादीया का वाद खारिज किया जावे। जवाब में वादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त भंवरू खां उक्त वाद में पक्षकार नहीं है इसलिए भंवरू खां का उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उक्त भंवरू खां एक अजनबी असम का निवासी है जिसका उक्त प्रकरण से कोई संबंध नहीं है तथा अजनबी बिना पक्षकार व्यक्ति को उक्त प्रकरण में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने अथवा हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए उक्त भंवरू खां का प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। प्रति उत्तर में प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त वाद मुख्यतः मेरे अस्तित्व के लेकर पेश किया गया है कि मेरे को मृत मानते हुए मेरे हिस्से की खातेदारी वादीगण के हक हिस्से में दर्ज की जावे। परन्तु मैं स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं अतः मेरा अस्तित्व है। अतः मुझे आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जब मेरा द्वारा 01 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जावेगा तो भी उक्त दावे का कोई औचित्य नहीं होगा। यह मात्र वाद को लम्बा चलाने की नियत से वादीगण द्वारा कथन किया गया है जो कि स्वीकार्य नहीं है।

पत्रावली का अवलोनकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थी ने मुख्य कथन किया है कि वादीगण ने मुझे दिनांक 06.12.2008 से लापता बताकर सिविल मृत्यु मानकर मेरे स्थान पर स्वयं के नाम खातेदा[illegible] करवाने का यह वाद पेश किया है जो कि वादीगण के वाद का [illegible] आ[illegible] है। वादपत्र के अवलोकन अनुसार वादीगण वाद [illegible] खेत खसरा [illegible] 197, 148, 149, 196, 246, 261, 262, 355 में अपने पति व पिता भंवरू खां के लापता रहने पर उनके स्थान उक्त खेत खसरान की खातेदारी में व[illegible]ाण का नाम अमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 12:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दरामद करवाने के इस्तदुआ कर रहे। चुंकि प्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया है एवं प्रार्थी स्वयं, नूर मोहम्मद खां, मुमताज खां, अनवर अली खां के शपथ पत्र, प्रार्थी स्वयं का आधार कार्ड, ग्राम पंचायत छापरी खुर्द का प्रमाण पत्र पेश किये है। माननीय न्यायालय विरिष्ठ सिविल न्यायाधिश, डीडवाना द्वारा प्रार्थी को साक्ष्य सबूतों के आधार पर जिवित माना है। अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर वादीगण का पिता व पति भंवरू खां (प्रार्थी) जिवित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

—:: आदेश ::—

व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत प्रार्थी भंवरू खां की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिपोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण का वाद पत्र परिपोषणीय नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

Vikas
(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **29.10.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas
(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 12:46:07 IST
Reason: SelfAttested